

50. कालू माता स्व. शरीफा पत्नी स्व. सैयद खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
51. शहीद खां पुत्र स्व. नाजर खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
52. हनीफ पुत्र स्व. नाजर खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
53. हाकम अली पुत्र स्व. हबुब जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
54. मोहम्मद सलाम पुत्र स्व. हबुब जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
55. सादक अली पुत्र स्व. हबुब जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
56. सफीना पुत्री स्व. हबुब जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
57. कलीमा पुत्री स्व. हबुब जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
58. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
59. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :-

वादी गुलाम अली ने प्रतिवादीगण बरकत अली वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 57 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 57 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 38/36 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादी के स्व. पिता एवं स्व. बुआओं के नाम से 2.788 है. कृषि भूमि, इसके अलावा तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 के.के.डब्ल्यू. के खाता सं. 68/5 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वादी के स्व. पिता, स्व. बुआओं एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से 2.985 है. कृषि भूमि तथा चक 2 के.के.डब्ल्यू. के खाता सं. 50/42 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वादी के स्व. पिता, स्व. बुआओं एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से 1.518 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 57 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 57 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 57 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 57 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 57 के 22, 28 ता 46, 51 ता 57 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 21, 23 ता 27, 47, 48, 49, 50 के मध्य हुए बंटवारानुसार कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 1 ता 20, 22, 28 ता 46, 51 ता 57 का उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 ता 20, 22, 28 ता 46, 51 ता 57 एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि उपखण्ड अधिकारी महोदय, संगरिया के बअनवानी दावा अल्लादिता व अन्य विरुद्ध सकीना व अन्य में प्राप्त कर ली। वादी एवं प्रतिवादी सं. 21, 23 ता 27, 47, 48, 49, 50 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:-

लगातार --4

महायुक्त कलेक्टर एवं
उपस्थित अधिकारी
संगरिया

(क) वादी गुलाम अली पुत्र फतेहदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 1 के.के.डब्लयु. खाता सं. 68/5 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
145/204	30	14/0.253 है., 16/0.177 है., 17/2/0.013 है.
146/205	47	24/0.202 है., 25/0.253 है.
146/204	29	1/0.253 है.

कुल 1.252 है. कृषि भूमि
चक 2 के.के.डब्लयु. खाता सं. 50/42 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
145/205	2	4,5,7/0.253 है.प्र.

प्रतिवादी सं. 21 सादक अली पुत्र जलालदीन(2/3 हिस्सा) एवं प्रतिवादी सं. 23 हलीमा पत्नी नूरनवी(1/3 हिस्सा) समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 2 के.के.डब्लयु. खाता सं. 50/42 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
145/205	2	6,15,16/0.253 है.प्र.

कुल 0.759 है. कृषि भूमि
चक 1 के.के.डब्लयु. खाता सं. 68/5 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/205	47	9,10,11,12,20/0.253 है.प्र.

(ग) प्रतिवादी सं. 24 ता 27 क्रमशः आशक, मोहम्मद सलाम, यासीन पुत्रगण हबीब, मोहम्मद सलाम पुत्र मुनीर जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 1 के.के.डब्लयु. खाता सं. 68/5 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/204	29	21/0.152 है., 20/0.063 है.
146/205	47	2/0.253 है.

कुल 0.468 है. कृषि भूमि
(घ) प्रतिवादी सं. 24 ता 27, 47 ता 50 क्रमशः आशक, यासीन, मोहम्मद सलाम, बसीरा, गुलजारा, हनीफा पुत्रगण/पुत्रीयां हबीब, मोहम्मद सलाम पुत्र मुनीर खां, कालू पुत्र सैयद खान समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 38/36 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
138/195	56	4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7,8,9/0.253 है.प्र.

139/195	56	1,2,9,10,12/0.253 है.प्र.
---------	----	---------------------------

कुल 2.783 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 57 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 57 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का

लगातार --5

महायक फलक्टर एवं
उपस्थ अधिकारी
संगरिया

जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 57 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 58 व 59 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 38/36 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 68/5 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 व चक 2 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 50/42 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 3 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 स्थ.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 57 सांझा खाता के काशतकार है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 57 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 57 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 57 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 38/36 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादी के स्व. पिता एवं स्व. बुआओं के नाम से 2.788 है। कृषि भूमि, इसके अलावा तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 68/5 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वादी के स्व. पिता, स्व. बुआओं एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से 2.985 है। कृषि भूमि तथा चक 2 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 50/42 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वादी के स्व. पिता, स्व. बुआओं एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से 1.518 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 57 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 57 सांझा खाता के काशतकार है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादी गुलाम अली पुत्र फतेहदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 1 के.के.डब्ल्यु. खाता सं. 68/5 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78
प.नं. मु.नं. कि.नं.

145/204 30 14/0.253 है., 16/0.177 है., 17/2/0.013 है.

24/0.202 है., 25/0.253 है.

146/205 47 1/0.253 है.

146/204 29 21/0.101 है.

कुल 1.252 है. कृषि भूमि

चक 2 के.के.डब्ल्यु. खाता सं. 50/42 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

लगातार --6

महायुक्त कोषाध्यक्ष एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प.नं. मु.नं. कि.नं.

145/205 2

4.5,7/0.253 है.प्र.

(अ) प्रतिवादी सं. 21 कुल 0.759 है. कृषि भूमि
हलीमा पत्नी सादक अली पुत्र जलालदीन(2/3 हिस्सा) एवं प्रतिवादी सं. 23
किंकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) एवं प्रतिवादी सं. 23
कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

प.नं.

मु.नं. कि.नं.

145/205 2

6,15,16/0.253 है.प्र.

चक 1

प.नं.

146/205 47

मु.नं. कि.नं.

कुल 0.759 है. कृषि भूमि

खाता सं. 68/5 जमाबन्दी सम्यत् 2075-78

9,10,11,12,20/0.253 है.प्र.

कुल 1.265 है. कृषि भूमि

(ब) प्रतिवादी सं. 24 ता 27 क्रमशः आशक, गोहम्गद सलाम, यारीन पुत्रगण
हबीब, मोहम्मद सलाम पुत्र मुनीर जाति गुसलमान निवारी किंकरवाली तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि
भूमि :-

चक 1 के.के.डब्लयु. खाता सं. 68/5 जमाबन्दी सम्यत् 2075-78

प.नं.

मु.नं. कि.नं.

146/204 29

21/0.152 है., 20/0.063 है.

146/205 47

2/0.253 है.

कुल 0.468 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 24 ता 27, 47 ता 50 क्रमशः आशक, यारीन, मोहम्मद
सलाम, बसीरा, गुलजारा, हनीफा पुत्रगण/पुत्रीयां हबीब, मोहम्मद सलाम पुत्र
मुनीर खां, कालू पुत्र सैयद खान समस्त जाति गुसलमान निवारीगण
किंकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व
कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 38/36 जमाबन्दी सम्यत् 2071-74

प.नं.

मु.नं. कि.नं.

138/195 56

4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है.,

5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,

7,8,9/0.253 है.प्र.

139/195 56

1,2,9,10,12/0.253 है.प्र.

कुल 2.783 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर
कब्जाकाशत के अभाव में प्रतिवादीगण/सहखातेदारान का नाम कब्जाकाशत के
अभाव में कलमजन किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट:- यदि डिग्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल
दरामद मुताबिक डिग्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिग्री जारी हो। खर्चा
पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से
कम किया दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 29.8.2024 को मेरे द्वारा
लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

- हनीफ पुत्र स्व. नाजर खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
हाकम अली पुत्र स्व. हबुब जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
मोहम्मद सलाम पुत्र स्व. हबुब जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
सादक अली पुत्र स्व. हबुब जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
सकीना पुत्री स्व. हबुब जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
कलीमा पुत्री स्व. हबुब जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
तहसीलदार राजस्व संगरिया।
तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।



- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 29.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जांमिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 57 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

5) वादी गुलाम अली पुत्र फतेहदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 1 के.के.डब्लयु. खाता सं. 68/5 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78
प.नं. मु.नं. कि.नं.

145/204 30 14/0.253 है., 16/0.177 है., 17/2/0.013 है.
24/0.202 है., 25/0.253 है.

146/205 47 1/0.253 है.

146/204 29 21/0.101 है.

कुल 1.252 है. कृषि भूमि

चक 2 के.के.डब्लयु. खाता सं. 50/42 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

प.नं. मु.नं. कि.नं.

145/205 2 4,5,7/0.253 है.प्र. कुल 0.759 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 21 सादक अली पुत्र जलालदीन(2/3 हिस्सा) एवं प्रतिवादी सं. 23 हलीमा पत्नी नूरनवी(1/3 हिस्सा) समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 2 के.के.डब्लयु. खाता सं. 50/42 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

प.नं. मु.नं. कि.नं.

145/205 2 6,15,16/0.253 है.प्र.

कुल 0.759 है. कृषि भूमि

चक 1 के.के.डब्लयु. खाता सं. 68/5 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

प.नं. मु.नं. कि.नं.

146/205 47 9,10,11,12,20/0.253 है.प्र.

कुल 1.265 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 24 ता 27 क्रमशः आशक, मोहम्मद सलाम, यासीन पुत्रगण हबीब, मोहम्मद सलाम पुत्र मुनीर जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 1 के.के.डब्लयु. खाता सं. 68/5 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

प.नं. मु.नं. कि.नं.

146/204 29 21/0.152 है., 20/0.063 है.

146/205 47 2/0.253 है. कुल 0.468 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 24 ता 27, 47 ता 50 क्रमशः आशक, यासीन, मोहम्मद सलाम, बसीरा, गुलजारा, हनीफा पुत्रगण/पुत्रीयां हबीब, मोहम्मद सलाम पुत्र मुनीर खां, कालू पुत्र सैयद खान समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

लगातार --4

महायक कुलपति एवं
उपबण्ड अधिकारी
संगरिया

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 38/36 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

138/195 56 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है.,
5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
7,8,9/0.253 है.प्र.

195 56 1,2,9,10,12/0.253 है.प्र.

कुल 2.783 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उपर्युक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर कब्जाकाशत के अभाव में प्रतिवादीगण/सहखातेदारान का नाम कब्जाकाशत के अभाव में कलमजन किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत्
निल..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 29.8.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
सगरिया
सगरिया